न्यायालय राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।

ज0वि0 निगरानी संख्या–108/2013–14 अन्तर्गत धारा–333 उ0प्र0जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम

श्री विनोद कुमार हाण्डा आदि — **बनाम** — अरूण कुमार हाण्डा आदि

बाबत भूमि खसरा संख्या– 508/2 रक्वा 0.30 एकड़ खसरा संख्या– 510/5 रक्वा 0.17 एकड़ एवं खसरा संख्या– 511/2 रक्वा 0.40 एकड़ कुल क्षेत्रफल 0.87 एकड़ स्थित मौजा निरंजनपुर तहसील व जिला देहरादून।

उपस्थित — **श्री पी0एस0 जंगपांगी**, आई0ए0एस0 सदस्य, न्यायिक

श्री प्रेमचन्द शर्मा, अधिवक्ता, निगरानीकर्ता
श्री अरूण कुमार सक्सेना, अधिवक्ता उत्तरदातागण

निर्णय

यह निगरानी निगरानीकर्तागण द्वारा विद्वान अपर आयुक्त, गढ़वाल मण्डल द्वारा अपने समक्ष प्रश्नगत भूमि के सम्बन्ध में लम्बित अपील संख्या शून्य/2013 में पारित आदेश दिनांक 27–09–2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। निगरानी का संक्षेप आधार यह है कि निगरानीकर्तागण जो कि अवर न्यायालय में केबियेटर हैं द्वारा परीक्षण न्यायालय द्वारा गुणदोष के आधार पर निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र अस्वीकृत किये जाने सम्बन्धी आदेश दिनांक 26–09–2013 को निगरानीकर्तागण के वरिष्ठ अधिवक्ता की अनुपस्थिति के आधार पर सुनवाई स्थगित कर निकटवर्ती तिथि निर्धारित करने के प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त भी अवर अपीलीय न्यायालय ने आक्षेपित आदेश बिना सुनवाई का अवसर दिये एवं बिना अपील को पंजीकृत कर ग्रहण किये पारित कर दिया जो कि विधिविरूद्ध एवं क्षेत्राधिकार के बाहर है : यह कि आक्षेपित आदेश का आधार उल्लिखित नहीं है : यह कि आक्षेपित आदेश की भाषा से यह विदित होता है कि अवर अपीलीय न्यायालय को इस हेतु किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा आदेश दिया गया है तदनुसार बिना अपील पंजीकृत कर ग्रहण किये, बिना केबियेटर को सुनवाई का अवसर प्रदान किये पारित आक्षेपित आदेश में कई विधिक प्रश्न विद्यमान है जिनका निराकरण आवश्यक है : अतः निगरानी स्वीकार कर आक्षेपित आदेश निरस्त किया जाय।

उत्तरदाता अरूण कुमार हाण्डा की ओर से निगरानी की पोषणीयता के विरूद्ध आपत्ति प्रस्तुत की गयी है जिसका आशय यह है कि आक्षेपित आदेश एक अंतरिम आदेश है एवं अन्तिम आदेश नहीं हैः निगरानीकर्तागण को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अभी भी अपने कथन व तर्क प्रस्तुत करने का अधिकार है : अवर न्यायालय में आक्षेपित आदेश पारित होने से पूर्व उभयपक्षों को सुनकर आक्षेपित आदेश पारित किया गया है : निगरानीकर्तागण द्वारा यह निगरानी योजित कर अवर न्यायालय में लम्बित अपील की सुनवाई को लम्बित रखे जाने का प्रयास किया जा रहा है। उक्त आधार पर यह निगरानी पोषणीय न होने एवं सव्यय निरस्त होने योग्य कहा गया है।

निगरानी योजित किये जाने से पूर्व उत्तरदाता अरूण कुमार हाण्डा द्वारा केबियेट प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। तदनुसार निगरानी उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को सुनकर ग्रहण की गयी।

.....2

निगरानी का संक्षिप्त इतिहास यह है कि वादी/उत्तरदातागण द्वारा उपखण्ड के प्रभारी सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी देहरादून के न्यायालय में एक वाद प्रश्नगत भूमि के सम्बन्ध में धारा–229–बी, 176 व 209 उ0प्र0 ज0वि0 एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम के अन्तर्गत योजित किया गया जिसमें आदेश 39 नियम–1 सिविल प्रक्रिया संहिता सपठित धारा–229–डी उ0प्र0 ज0वि0 एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम के अन्तर्गत निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसे परीक्षण न्यायालय द्वारा गुणदोष के आधार पर अपने आदेश दिनांक 26–09–2013 के द्वारा निरस्त कर दिया गया जिसके विरूद्ध वादी द्वारा अपर आयुक्त, गढ़वाल मण्डल के न्यायालय में अपील योजित की गयी जिसमें दिनांक 27–9–2013 को आक्षेपित आदेश पारित करते हुये परीक्षण न्यायालय के आदेश दिनांक 26–9–2013 को स्थगित करते हुये उसके द्वारा पूर्व में पारित आदेश दिनांक 23–4–2013 को बहाल किया गया। इस प्रकार मूल वाद अभी भी परीक्षण न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। तदनुसार वर्तमान में परीक्षण न्यायालय द्वारा दिनांक 26–9–2013 को पारित आदेश अन्तर्गत धारा–229–डी उ0प्र0 ज0वि0 एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम के विरूद्ध योजित अपील में पारित आदेश दिनांक 27–9–2013 के विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत हुई है।

मैंने उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को सुना। निगरानीकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता का प्रमुख तर्क यह है कि विद्वान अपीलीय न्यायालय ने बिना अपील को पंजीकृत कर सुनवाई हेतु ग्रहण किये एवं बिना आधार स्पष्ट किये आक्षेपित आदेश पारित किया गया है। उनके अनुसार केबियेटर को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना परीक्षण न्यायालय में पूर्व में पारित आदेश दिनांक 23–4–2013 के प्रभाव को बहाल किया गया जो कि क्षेत्राधिकार से परे है : निगरानीकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया है कि आक्षेपित आदेश में शब्दावली "आदेश हुआ" का प्रयोग किसी अन्य द्वारा आदेशित करने का भ्रम उत्पन्न करता है।

उत्तरदाता संख्या–1 के विद्वान अधिवक्ता के अनुसार केबियेट दाखिल किये जाने की स्थिति में विद्वान अवर न्यायालय के समक्ष स्थगन अनुमन्य किये जाने का अवसर नहीं था : अवर न्यायालय में प्रस्तुत केबियेट विधिसम्मत नहीं था क्योंकि उसे विधिवत् विपक्षीगण को नहीं भेजा गया था : अवर न्यायालय में निगरानीकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित थे : आक्षेपित आदेश एक अन्तःवर्ती आदेश है जिसके विरूद्ध निगरानी पोषणीय नहीं है एवं अवर न्यायालय में अपील अभी भी लम्बित है जिसका अन्तिम निस्तारण होना है : निगरानीकर्तागण के समक्ष अभी भी आक्षेपित आदेश में संशोधन अथवा उसे वापस लिये जाने हेतु प्रार्थना पत्र दिये जाने का अवसर उपलब्ध है : अतः निगरानी सव्यय निरस्त की जाय :

जैसा कि पूर्व में उल्लेख किया जा चुका है कि मूल वाद अभी भी परीक्षण न्यायालय में लम्बित है। मात्र मूल वाद में दिनांक 23–4–2013 को पारित अन्तरिम निषेधाज्ञा को वापस लिया गया है जिसके विरूद्ध अवर अपीलीय न्यायालय में उत्तरदाता द्वारा अपील योजित की गयी है एवं लम्बित अपील में पारित अन्तरिम आदेश के विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गयी है जबकि अभी अपील का निस्तारण होना शेष है। इसमें सन्देह नहीं है कि आक्षेपित आदेश एक अंतःवर्ती एवं वादकालीन आदेश है। मैं उत्तरदाता के विद्वान अधिवक्ता के एतद् सम्बन्धी तर्क से सहमत हूँ। इस सम्बन्ध में उत्तरदाता की ओर से प्रस्तुत श्रीमती अंजू त्यागी व अन्य प्रति सिविल जज रूड़की 2012(117) RD 443 में मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड द्वारा प्रतिपादित न्यायिक दृष्टांत इस मामले में पूर्ण रूप से लागू होता है। इसी प्रकार राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा 2012(117) RD 42(H) एवं 2006(100) RD 260 में प्रतिपादित न्यायिक दृष्टांत भी मामले में Persuasive प्रभाव रखता है।

यह भी सही है कि अवर अपीलीय न्यायालय में अपील लम्बित रहते आक्षेपित आदेश को वापस लिये जाने अथवा उसे संशोधित किये जाने के लिये निगरानीकर्तागण के समक्ष विकल्प अभी भी उपलब्ध है तदनुसार निगरानी अभी अपरिपक्व है एवं पोषणीय नहीं है।

.....3

जहाँ तक निगरानीकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि विद्वान अपीलीय न्यायालय ने बिना अपील पंजीकृत अथवा ग्रहण किये आक्षेपित आदेश पारित किया गया है का सम्बन्ध है यह तथ्य अभिलेखों के अवलोकन से पुष्ट होता है परन्तु इस तथ्य की ओर विद्वान अवर न्यायालय का ध्यान आकृष्ट किया जाना चाहिये था एवं अब भी आकृष्ट किया जा सकता है। जहाँ तक आक्षेपित आदेश में विद्यमान कतिपय विसंगतियों, यथा, दोनो पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुने जाने सम्बन्धी तथ्य अथवा शब्दावली "आदेश हुआ" के अंकित किये जाने का प्रश्न है कदाचित निगरानीकर्तागण की ओर से उपस्थित कनिष्ठ अभियंता की उपस्थिति एवं लेखन की शैली के कारण उक्त विसंगतियां विद्यमान होनी प्रतीत होती हैं, परन्तु आक्षेपित आदेश के अध्ययन से स्पष्ट है कि आदेश का आशय अन्तःवर्ती (interlocutory) है एवं अपील का निस्तारण अभी भी किया जाना है।

आदेश

उपर्युक्त विवेचना के आलोक में निगरानी अस्वीकृत की जाती है। निगरानीकर्तागण आक्षेपित अंतरिम आदेश को वापस लिये जाने अथवा संशोधित किये जाने के संबंध में विद्वान अवर अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के लिये स्वतंत्र हैं जिसमें निगरानी स्तर पर उठाई गयी कथित विसंगतियों की ओर भी न्यायालय का ध्यान आकृष्ट किया जा सकता है। उभय पक्ष अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 12–11–2013 को उपस्थित हों। सम्बन्धित पक्ष अपना–अपना व्यय वहन करेंगे।

28/10/13

(पी०एस०जंगपांगी)
सदस्य, न्यायिक।

आज दिनांक 28–10–2013 को खुले न्यायालय में उद्घोषित, हस्ताक्षरित एवं दिनांकित।

28/10/13

(पी०एस०जंगपांगी)
सदस्य, न्यायिक।